



प्रेस नोट
यातायात पुलिस
अनाधिकृत नम्बर प्लेट कार्यवाही

दिनांक:— 20.05.2024

श्रीमान राजेन्द्रसिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार जिन वाहन चालकों द्वारा परिवहन विभाग द्वारा जारी नम्बर प्लेट के स्थान पर अपने वाहन की नम्बर प्लेट पर या उसके ऊपर कुछ लिखवाकर अनाधिकृत नम्बर प्लेट के संचालित होने वाले वाहनों की चैकिंग कर चालान कार्यवाही की जा रही हैं। श्री शरद चौधरी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात, जोधपुर एवं श्री दुर्गाराम चौधरी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात, जोधपुर के सुपरविजन में दिनांक 19.05.2024 व 20.05.2024 को अनाधिकृत नम्बर प्लेट वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाए गये विशेष अभियान के दौरान जिन वाहनों की नम्बर प्लेट पर छ ळटज्ज क्ज्ज लिखा हुआ होने के बावजूद सवारियां भरकर/निजी कार्य हेतु संचालित होते पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार चालान कार्यवाही की गई। इसी प्रकार जिन वाहनों की नम्बर प्लेट पर या नम्बर प्लेट के ऊपर अन्य अनाधिकृत प्लेट लगाकर उस पर प्रधान, सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जाति या अन्य नाम लिखकर संचालित होने वाले वाहनों की सतत चैकिंग कर उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त चालान कार्यवाही की गई है दिनांक 19.05.2024 को 05.00 पीएम से 20.05.2024 को 06.00 पीएम तक कुल 41 चालान कार्यवाही अनाधिकृत नम्बर प्लेट वाले वाहनों के विरुद्ध की गई हैं। उक्त चैकिंग व कार्यवाही अभियान आगे भी निरन्तर जारी रहेगा।

यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि वाहन की नम्बर प्लेट को परिवहन विभाग के नियमानुसार रखकर व यातायात नियमों की पालना करते हुए ही वाहनों का संचालन करें ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। अपने वाहन की नम्बर प्लेट पर या उसके ऊपर अनाधिकृत प्लेट लगाकर उस पर प्रधान, सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जाति या अन्य नाम लिखकर संचालित नहीं करें। यातायात पुलिस द्वारा इसके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

संलग्न:- फोटोग्राफ्स

यातायात नियमों का पालन करें – सदैव सुरक्षित घर पहुंचें।
सदैव आपकी सेवामें – यातायात पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर

(शरद चौधरी)
पुलिस उपायुक्त
यातायात, जोधपुर



Shot on OnePlus
Hanuman | 2024.05.20 10:26







